माननीय अध्यक्ष महोदय का हिंदी दिवस के अवसर पर संदेश

आज हम सब एक वैश्विक संकट से जूझ रहे हैं। कोरोना ने हमारे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला है। इस भीषण चुनौती और संकट के समय में भाषा हमें धैर्य और साहस प्रदान करती है। हमें मानसिक रूप से सशक्त करती है और सकारात्मकता का संचार करती है।

भाषा हमारे विचारों के सम्प्रेषण का माध्यम है न कि हमारे सामाजिक स्तर की कसौटी। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है। दोनों ही हमारी अस्मिता की पहचान हैं। हिन्दी हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, यह केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।

इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी संसद में भारतीय संविधान में सर्वानुमति से हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने का निर्णय हुआ और संसद में ही सरकार के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया था। तब से अब तक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ा है। राजभाषा के प्रति हमारा गुरुतर दायित्व है कि हम अपने काम में अधिक से अधिक हिन्दी भाषा का प्रयोग कर अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करें।

आज हिन्दी संपर्क भाषा के रूप में सुशोभित है और साहित्य, कला, सिनेमा तथा मीडिया में इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। देश के अन्य भारतीय भाषा-भाषी भी अपने कामकाज और बोलचाल में हिन्दी का उपयोग कर रहे हैं। हमारी अस्मिता की पहचान बनी हिन्दी का अनेक देशों में बसे प्रवासी भारतीयों द्वारा भी उपयोग किया जाता है और वे हिन्दी साहित्य में अपना उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।

आज भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल क्रांति के पथ पर अग्रसर है। समय की मांग है कि हिन्दी भाषा को आधुनिक तकनीक की भाषा के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में भी स्थापित किया जाए।

हिन्दी दिवस, 14 सितम्बर, 2020 के अवसर पर हम यह शपथ लें कि अपने कार्यालय में और अपने दैनिक कार्यों में भी हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से आप स्वप्रेरणा और सभी के सहयोग से इस सचिवालय को हिन्दी में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था के रूप में स्थापित करेंगे, इसमें संदेह नहीं है।